

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरमंगा

अभिषद् की बैठक दिनांक 15.04.2018 का कार्यवृत्त

समयः 11:30 बजे

स्थानः माननीय कुलपति महोदय के आवासीय सभागार

उपस्थिति

	प्रो0 सुरेन्द्र कुमार सिंह, कुलपति	-	अध्यक्ष
1.	प्रो0 जय गोपाल	_	सदस्य
2.		_	सदस्य
3.	डा० अजय नाथ झा	_	सदस्य
4.	डा० भोला चौरसिया	=	सदस्य
5.	डा० अजीत कुमार चौधरी	-	सदस्य
6.	डा० एन०के० अग्रवाल	7.5	
7.	डा० अरविन्द कुमार झा	-	सदस्य
8.	डा० हीरा कान्त झा	-	सदस्य
9.	श्रीमती इस्मत जहाँ	-	सदस्य
	डा० बैद्यनाथ चौधरी	_	सदस्य
10. 11.	डा० विनोद कुमार चौधरी	-	सदस्य
12.	श्री लक्ष्मेश्वर राय		सदस्य
13.	डा0 महेन्द्र प्रसाद सिंह	_	सदस्य
14.	डा० अमर कुमार	7	सदस्य
	डा0 धनेश्वर प्रसाद सिंह	-	सदस्य
15.	and the State of t	_	सदस्य
16.	डा० हिमांशु शेखर	-	सदस्य
17.	श्री संजय सरावगी		सदस्य
18.	डा० डी० एन० पासवान	-	
19.	कंगारी जनगणित	- ×	सचिव

कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों को शुभकामना देते हुए बैठक में सभी का स्वागत किया गया तथा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक,प्रशासनिक एवं वित्तीय क्षेत्र में उतरोत्तर विकास का विस्तृत व्यौरा सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए 8वीं दींक्षांत समारोह के सफलता में सभी सदस्यों के सहयोग के लिए विश्वविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त किया गया। सदन की ओर से डाँ० विनोद कुमार चौधरी ने हवीं दीक्षांत समारोह के ऐतिहासिक आयोजन के लिए माननीय कुलपित के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव किया जिसे सदन में ध्वनी मत से पारित किया गया। कार्यवाही के प्रारंभ में श्री संजय सरावगी ने सदस्यों के उठाए गये सवालों को उल्लखित करने के प्रश्न सदन के समक्ष रखा। जिस पर, सदस्यों के नाम अंकित करते हुए संक्षेप में प्रस्ताव अंकित किए जाने की सहमित बनी। तद्उपरान्त, माननीय अध्यक्ष—सह—कुलपित महोदय की अनुमित से कुलसचिव द्वारा बैठक की विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

मद सं0 1. अभिषद् की गत बैठक दिनांक 31.03.2018 के कार्यवृत की संपुष्टि पर विचार।



लिर्णय:

गत बैठक दिनांक 31.03.2018 के कार्यवृत के मद सं0 1 के अतितिक्त मद सं0 11 में किए गये संशोधन में शिक्षकों के 131 दिनों के हड़ताल अविध के संबंध में अंकित माननीय न्ययालय के स्थान पर लोकायुक्त अंकित कर पढ़े जाने को कहा गया। उक्त संशोधन के साथ कार्यवृत को सम्पुष्ट किया गया।

मद सं0 2. निर्णयः अभिषद् की बैठक दिनांक 31.03.2018 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन-प्रतिवेन पर विचार। विचारोपरान्त, अभिषद् की बैठक दिनांक 31.03.2018 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन-प्रतिवेन पर सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। परिशिष्ट -(क) पृ०सं०-(7)

अभिषद् की बैठक दिनांक 31.03.2018 के स्थगित मदें।

मद सं03. निर्णयः अनुशासन समिति की प्रस्तावित बैठक दिनांक 23.03.2018 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार। विचारोपरान्त, अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 23.03.2018 के कार्यवृत के अन्यान्य मद सं0 2 में जी० एम० आर० डी० महाविद्यालय,मोहनपुर,समस्तीपुर के मामले में गठित समिति को निर्देशित किया गया कि दोनो पक्षों के आरोप की जॉच करने के बाद प्रतिवेदन प्रस्तुम करेगी। अन्य मदों को यथावत अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट —(ख) पृ०सं०—(8 —9)

मद सं0 4. निर्णयः वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.03.2018 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।
विचारोपरान्त, वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.03.2018 के कार्यवृत को अनुमोदित किया
गया। निर्देशित किया गया कि क्रय–विक्रय समिति एवं भवन समिति की कार्यवृत बैठक
में उपस्थापित किया जाय। परिशिष्ट –(ग) पृ०सं०–(10 –11)

मद सं0 5.

परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 15.02.2018, 22.02.2018 एवं 05.03.2018 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः

विचारोपरान्त, परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 15.02.2018, 22.02.2018 एवं 05.03.2018 के कार्यवृत को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट —(घ) पृ०सं0—(12—18)

मद सं0 6.

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976(अद्यतन संशोधित) की धारा 57(A)(6) के अनुपालनार्थ एम0आर0एस0एम0 महाविद्यालय, आनन्दपुर, सहोड़ा, दरमंगा में 19.04.2007 के पूर्व शासी निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों के अनुमोदन हेतु गठित चयन समित को अनुशंसा एवं शासी निकाय द्वारा उसे स्वीकार किये जाने में की गयी विसंगितयों की जाँच हेतु गठित उपसमिति के प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णयः

विचारोपरान्त, सदस्यों द्वारा एम0आर0एस0एम0 महाविद्यालय, आनन्दपुर, सहोड़ा, दरमंगा से संबंधित समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन करने के बाद अगली बैठक में प्रस्ताव पर निर्णय लिया जएगा।

मद सं0 7.

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 20.03.2018 की कार्यवृत्त के आनुमोदन पर विचार।

निर्णयः

विचारोपरान्त, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ल0ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरमंगा के सलाहकार सिमिति की बैठक दिनांक 20.03.2018 की मद सं0 81.5 में गठित सिमिति को ही मद सं081. 6 को भी देखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। मद सं0 81.10 में सिटिंग फी 3000—/रूपये मात्र सिर्फ सलाकार सिमिति की बैठक में ही दिए जाने की सहमति दी गयी जो अन्य के लिए अनुमान्य नहीं होगा। तथा अन्यान्य मद सं0 81.20.1 पर विचार किया गया विचारोपरान्त, निदेशालय के तीन संकाय सदस्यों के बकाये मुगतान से संबंधित दाबे हेतु गठित जाँच सिमिति को निदेशालय के ऐसे अन्य शिक्षक/कर्मियों के बकाये मुगतान से संबंधित दाबे के मामले को भी जाँच कर एकीकृत रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उपरोक्त संशोधनों के साथ अन्य निर्णयों को यथावत अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट —(ङ) पृ०सं0—(19 —24)

मंद सं0 8.

दिनांक 26.03.2018 को हुई "Approval Seniority and Pay-fixation Committee" की बैठक का कार्यवृत्त अभिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ उपस्थापित।

निर्णयः

विचारोपरान्त, दिनांक 26.03.2018 को हुई "Approval Seniority and Pay-fixation Committee" की बैठक का कार्यवृत्त के अतिरिक्त मद सं0 1 में एस0 एम0 जे0 कॉलेज,खाजेडीह,मधुबनी के मामले को तत्काल स्थगित रखते हुए अनुसंशा से संबंधित मामले की जॉच के बाद निर्णय लिए जाने की सहमति बनी। अन्य मदो को यथावत अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(च) पृ०सं0–(25–26)

मद सं0 9.

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश 5859/96 दिनांक 20.10.2008 के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश 5859/96 दिनांक 20.10.2008 के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन के स्वीकृति के मामले में डॉ विनोद कुमार चौधरी द्वारा न्यादेश एवं एस० एम० झा समिति की अनुसंशा को पढ़े जाने के बाद अगली बैठक में उपस्थापित किए जाने के प्रस्ताव को सदस्यों द्वारा सहमित दी गयी।

मद सं010.

To consider the recommendation of Selection Committee for Promotion and Shifting of date of promotion of teachers from the post of Lecturer/Assistant Professor to Lecturer/Assistant Professor (Senior Scale); Lecturer/Assistant Professor (Senior Scale) to Lecturer/Assistant Professor (Selection Grade)/Reader/Associate Professor; and Reader/Associate Professor to the rank of Professor under Career Advancement Scheme/ Time Bound Promotion Scheme.

निर्णयः

The Promotion and Shifting of date of promotion of teachers from the post of Lecturer/Assistant Professor to Lecturer/Assistant Processor (Senior Scale); Lecturer/Assistant Professor (Senior Scale) to Lecturer/Assistant Professor (Selection Grade)/ Reader/Associate Professor; and Reader/Associate Professor to the rank of Professor under Career Advancement Scheme/ Time Bound Promotion Scheme in the subjects of Commerce and Sociology have been recommended by the Selection Committee in its meeting held on 16.03.2018 was approved. परिशास्ट (४) प्राथ-(27-36)

मद सं0 11.

महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह सामाजिक विज्ञान संस्थान एवं शोध पुस्तकालय की सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 20.03.2018 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय:

विचारोपरान्त, महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह सामाजिक विज्ञान संस्थान एवं शोध पुस्तकालय की सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 20.03.2018 की कार्यवाही को अनुमौदित किया गया। परिशिष्ट –(ज) पृ०सं0–(37–39)

बद सं0 12. चन्द्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय में अन्तर स्नातक के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को प्रति माह 1000/- रूपया छात्रवृति Kamal Nath Jha & Prema Jha Scholorship के नाम से देने पर अभिषद के समक्ष विचारार्थ उपस्थापित।

निर्णयः विचारोपरान्त, चन्द्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय में अन्तर स्नातक के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को प्रति माह 1000/— रूपया छात्रवृति Kamal Nath Jha & Prema Jha Scholorship के नाम से दिए जाने की सहमति बनी।

मद सं0 13. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय पुस्तकालय परिसर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरमंगा की प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 05.03.2018 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय पुस्तकालय परिसर, लिलत नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरमंगा की प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 05.03.2018 की कार्यवाही को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(झ) पृ०सं०–(40–41)

मद सं0 14. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रिक्त पदों पर शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति से संबंधित राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत अधिसूचना तथा उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग एवं महालेखाकार के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालनार्थ अभिषद के बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत।

सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के पत्रांक 15/एम 1-226/2009-699 दिनांक 04.04.2018 के द्वारा विभागीय पत्रांक 559 दिनांक 04.03.2011 एवं पत्रांक 1049 दिनांक 13.04.2011 द्वारा विश्वविद्यालय में शिक्षकत्तर कर्मियों के नियुक्ति पर लगे रोक को हटाते हुए वर्ग III एवं वर्ग IV के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई हेतु अनुमित प्रदान करने के लिए सदन सर्वप्रथम राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करती है।

यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यालय द्वारा वर्ग III एवं वर्ग IV में उपलब्ध स्वीकृत रिक्त पदों पर रिक्तियों का आकलन करते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार मरणशील पदों एवं आउँटसोर्सिंग हेतु चिन्हीत पदों को छोड़कर शेष रिक्तियों के लिए दिनांक 04.03.2014 द्वारा प्रख्यापित परिनियम में वर्णित प्रावधान एवं शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए, आरक्षण नियमों का पालन करते हुए रोस्टर क्लियरेंस करकर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाय तथा कृत कार्रवाई से सदन को भी अवगत कराया जाय।

अतिरिक्त यदि कोई हो(अध्यक्ष की अनुमित से)। (कुलसचिव सदन से बाहर चले गये)
अतिरिक्त मद सं० 1 To consider the recommendation of Selection Committee for Promotion and Shifting of date of promotion of teachers from the post of Lecturer/Assistant Professor to Lecturer/Assistant Professor (Senior Scale); Lecturer/Assistant Professor (Senior Scale) to Lecturer/Assistant Professor (Selection Grade)/Reader/Associate Professor; and Reader/Associate Professor to the rank of Professor under Career Advancement Scheme/ Time Bound Promotion Scheme.

The Promotion and Shifting of date of promotion of teachers from the post of
Lecturer/Assistant Professor to Lecturer/Assistant Processor (Senior Scale);
Page 4

Dree!

निर्णयः

निर्णयः

Page

Lecturer/Assistant Professor (Senior Scale) to Lecturer/Assistant Professor (Selection Grade)/ Reader/Associate Professor; and Reader/Associate Professor to the rank of Professor under Career Advancement Scheme/ Time Bound Promotion Schemein in the subject of Botany have been recommended by the Selection Committee in its meeting held on 09.04.2018 was approved. परिशास्ट –(ञ) प्राची-(42-44)

(कुलसचिव पुनः सदन में वापस आए)

अतिरिक्त मद सं0 2. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में अधिषद् के आजीवन दाता सदस्य हेतु किये गये आवेदन पर विचार।

निर्णयः

विचारोपरान्त ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में अधिषद् के आजीवन दाता सदस्य हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों —

Sl.	Name
1.	Dr.Lakshmeshwar Prsad singh
2.	Dr. A.K.Bachan
3.	Sri Sohan Choudhary
4.	Sri Arvind Singh
5.	Dr. Anil Kumar Jha
6.	Nitesh Kamal
7.	Sri Sanjay Saraogi
8.	Srimati Ismat Jahan

के आवेदनों पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की सहमति बनी।

अतिरिक्त मद संo 3. डाo केo केo साहू के उपाचार्य पद पर अस्थायी रूप से दिये गये प्रोन्नित के सम्बन्ध में बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग पटना द्वारा अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः

विचारोपरान्त, डा० के० के० साहू के उपाचार्य पद पर अस्थायी रूप से दिये गये प्रोन्नित के सम्बन्ध में बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीमूत महाविद्यालय) सेवा आयोग पटना द्वारा किए गये अनुशंसा को अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद सं0 4. To consider the Resolution of Acadmic and Planning Board held on 23.03.2018.


निर्णयः

The Resolution of Acadmic and Planning Board held on 23.03.2018 was approved. परिशिष्ट –(ट) पृ०सं०–(45–46)

अतिरिक्त मद सं0 5. प्रोन्नित समिति की बैठक दिनांक 11.04.2018 के आलेक में लिए गए निर्णय पर विचारार्थ अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः

विचारोपरान्त, प्रोन्नित समिति की बैठक दिनांक 11.04.2018 के आलेक में लिए गए निर्णय को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट —(ठ) पृ०सं०—(४७)



अन्यान्य—1 डा0 विनोद कुमार चौधरी के प्रस्ताव, विद्वत परिषद की दिनांक 07.03.2018 की बैठक के मद सं0 3 के एजेंडा सं0 5 में एम0बी0 कॉलेज ऑफ एडुकेशन, अनारकोठी,रामभद्रपुर,दरमंगा के स्थाई संबद्धन से संबंधित समिति की अनुशंसा के आलोक में पी0 एफ0 जमा किए जाने के बाद

> एम0बी० कॉलेज ऑफ एडुकेशन, अनारकोठी,रामभद्रपुर,दरभंगा को स्थाई संबंधन दिए जाने की सहमति बनी।

- अन्यान्य—2 श्री संजय सरावगी के प्रस्ताव, अनुकम्पा समिति की बैठक जल्द प्रारंभ किए जाने के संबंध में, अवगत कराया गया कि अनुकम्पा पर नियुक्ति विश्वविद्यालय में प्रक्रियाधीन है।
- अन्यान्य—3 श्री संजय सरावगी के प्रस्ताव, संबंद्ध महाविद्यालय के कमीशन्ड शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा के परीक्षक बनाये जाने के संबंध में ,

अवगत कराया गया कि संबंद्ध महाविद्यालय के कमीशन्ड शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा के परीक्षक बनाये जाने प्रक्रिया पूर्व से ही निदेशालय में अपनायी गयी है।

- अन्यान्य—4 श्री संजय सरावगी के प्रस्ताव, परीक्षा से संबंधित कितपय समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट कराया गया, सदन में इसपर गंभीरता से विचार करने की सहमति बनी।
- अन्यान्य—5 श्री संजय सरावगी के प्रस्ताव, आउटसोर्स कर्मियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा आग्रोजित दक्षता परीक्षा में समान योग्यता वाले अभ्यर्थीयों को समान अधिकार मिलने के लिए, माननीय कुलपित महोदय से आग्रह किया गया।

बैठक के अंत में कुलसचिव द्वारा बैठक के संचालन में सहयोग एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करने हेतु सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पचात् माननीय अध्यक्ष—सह—कुलपित महोदय की अनुमित से बैठक की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गयी।

ह0 / – (मुस्तफा कमाल अंसारी) कुलसचिव—सह—सचिव ह0 / -(सुरेन्द्र कुमार सिंह) कुलपति-सह-अध्यक्ष

दिनांक : 15-4-2018

ज्ञापांक : 118-430/18

प्रतिलिपि प्रेषित :-

- अभिषद् के सभी माननीय सदस्य, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
- 2. सचिव, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
- 3. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
- 4. उप-सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।
- 5. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), लo नाo मिथिला विश्वविद्यालय, दरमंगा।
- 6. सभी पदाधिकारी/कुलपति के सचिव/प्रति-कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी संहायक, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

कुलसचिव